भारत में सहकारी समितियों का प्रबंधन एवं सदस्य, पदाधिकारी व शीर्ष संघ की भूमिका: सहकारिता विकास की दिशा में एक विश्लेषणात्मक समझ

डॉ. लोकेश जैन [१]

सारांश :

भारत गांवों का देश है । गांव हमारी अर्थव्यवस्था एवं वास्तविक आत्मनिर्भरता का आधार हैं । गांव के उत्थान से संबद्ध तीन प्रमुख संस्थाएं हैं – ग्रामपंचायत, शिक्षण संस्थाएं तथा सहकारिताएं । सहकारी संस्थाएं विकेन्द्रित लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था का प्रतीक हैं जो कमजोर और जरूरतमंद लोगों को शोषण से बचाकर पोषणक्षम (सक्षम) आर्थिक प्रवृत्तियों के संचालन हेतु सुदृढ़ता प्रदान करती हैं । सहकारिता सामूहिक ध्येयों की सिद्धि के द्वारा सदस्यों के जीवन निर्वाह के स्तर को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । इसकी आवश्यक शर्त यह है कि सहकारी संस्थाओं का नेतृत्व एवं उसके समस्त सदस्य गण सहकारी संस्थाओं की प्रबंध संचालन व्यवस्था से सही रूप से परिचित हों, अपनी भूमिका को भली भांति समझते हुए निष्ठा पूर्वक निर्वाह की मनोवृत्ति एवं मूल्य रखते हों और वास्तविक पटल पर समिति के नियमानुसार संचालन में अपनी विवेकपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करते हों ।

यह तथ्य विशेष रूप से तृण मूल स्तरीय सहकारी संस्थाओं के रूप में बार बार सामने आता है कि समिती के सदस्य समिति की संचालन व्यवस्था का सक्रिय भाग नहीं बन पाते । सहकारी संस्थाओं में जाने अनजाने में होने वाली अनियमितताओं का मूल संस्था की सभाओं, विधिक सभा आयोजन संबंधी प्रावधान, साधारण सभा के सदस्यों के अधिकार, विविध पदाधिकारियों की भूमिका तथा कर्मचारी संचालन व्यवस्था के बारे में जरूरी पक्षों का पूर्ण ज्ञान न होना है । सहकारिताओं के लिए नकारात्मकता से भी बड़ी चुनौती है सहकारी समितियो के सदस्यों की अर्थपूर्ण भागादारी जिसकी कमी निचले स्तर पर ही नहीं अपितु मध्य और शीर्ष स्तर तक यत्र तत्र दिखाई पड़ती है जो सहकारिता आंदोलन की गति को प्रभावित करती है ।

यह लेख सहकारी संस्थाओं से जुड़े सभी सदस्यों को कर्मशील बनाने की दिशा में समन्वित चिंतन की कड़ी को आगे बढ़ाने का एक अहम् हिस्सा है । यह लेख सहकारी समिति की सभाओं, सभाओं की वैधता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान, साधारण सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य, कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों की भूमिका पर तो प्रकाश डालता ही है साथ में नियुक्त कर्मचारी तंत्र पर इसके प्रभाव को स्पर्श करते हुए शीर्ष स्तरीय निकाय की भूमिका के साथ जोड़कर देखने का प्रयास करता है ताकि समग्रता के परिप्रेक्ष्य को सभी सदस्य समझ सकें और सहकारी समिति के विकास अर्थात् व्यक्तिगत और सामूहिक ध्येय सिद्धि की दिशा में अपनी बेहतर भूमिका सुनिश्चित कर सकें । यह चिंतन

[1] **प्रोफेसर – ग्रामीण प्रबंध अध्ययन केन्द्र, गूजरात विद्यापीठ, रांधेजा – गांधीनगर (गुजरात) – 382620**

सहकारी संस्था के लोक निर्मित तंत्र को असरकारक बनाने हेतु समन्वित दृष्टिकोण विकसित कर सकेगा ।

कुंजी शब्द – सहकारी समितियों का प्रबंध अभिगम, सहकारी संगठन में आयोजित होने वाली सभाएं एवं सदस्य, सहकारी संगठन के निर्वाचित पदाधिकारियों की भूमिका तथा कर्मचारी निर्मित तंत्र एवं शीर्षस्थ निकाय सहकारी संस्थाओं का प्रबंध अभिगम –

गांधीजी ने सहकारिता को ग्राम स्वराज एवं आर्थिक स्वराज का प्रमुख आधार माना है जो कमजोर व जरूरदमंद वर्ग को संगठित कर उन्हें सामूहिक रूप से कार्यरत करते हुए व्यक्तिगत आर्थिक – व्यावसायिक ध्येयों की सिद्धि हेतु मददरूप बनता है तथा उन्हें स्थापित शोषण से बचाते हुए अपने पैरों पर खड़े होने का साहस प्रदान करता है ताकि वे सामाजिक – आर्थिक उत्थान के पथ पर बढ़ते हुए सम्मानजनक जीवन व्यतित कर सकें।

सहकारिता ग्राम पंचायत के पश्चात लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक आधारभूत संस्था है । गांधीजी का मानना था यद्यपि सहकारिताएं वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी हैं, किन्तु वास्तविक विकास हेतु इन्हें सफल होना ही होगा । सहकारिताओं को वांछित सफलता न मिलने का मुख्य कारण यह हैं कि समितियों के सदस्य संचालन व्यवस्था में सहभागिता सुनिश्चित नहीं करते । इसके लिए सहकारी समितियों के सभी सदस्यों का अधिनियम संबंधी व्यवस्थाओं से परिचित न होना, अपनी भूमिका का स्पष्ट न होना तथा अपने अधिकार, दायित्व व कर्तव्यों का बोध न नही होना आदि घटक जिम्मेदार हैं । इसने ही सदस्यों की सक्रिय व रचनात्मक भागीदारी को बाधित किया है । सहकारी समिति की सभाएं में सदस्यों की भागादीरी की क्रियात्मक पृष्ठभूमि है जो सहकारी समित के समग्र प्रबंधन के तत्त्व और तंत्र को प्रभावित करती है ।

आज सहकारिताएं जीवन यापन के हर क्षेत्र से जुड़ चुकी हैं सेवा क्षेत्र हो या उत्पादन सभी जगह सहकारिता की उपस्थिति दर्ज है । तथापि सहकारिता के तीनों स्तरों पर प्रबंधकीय शिक्षण–प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती रही है ताकि तृणमूल स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक की संस्थाएं ''सबका साथ सबका विकास'' के ध्येय मंत्र के साथ सभी की रचनात्क सहभागिता के साथ सहकारिताओं के नियमबद्ध व न्यायसंगत संचालन की मिशाल कायम कर सकें ।

अवधारणात्मक रूप से कहा जा सकता है कि सहकारिता व्यक्तिगत व सामूहिक आर्थिक ध्येयों की सिद्धि के लिए स्वैच्छिक रूप से संगठित व्यक्तियों की संस्था है जिसका संचालन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर सभी की ओर से निर्वाचित सदस्यों की कार्यकारिणी के द्वारा किया जाता है । इस अनूठे संगठन में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की जगह सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा को प्रोत्साहन दिया जाता है । सहकारी समितियों की संचालन व्यवस्था में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत अपनाया जाता है, सदस्य द्वारा लाई गई पूँजी

अथवा उसके द्वारा धारित अंशपूँजी के आधार मत के प्रमाण तय नहीं किया जाता अपति सहकारी संगठन में हरेक सदस्य के मत की ताकत समान होती है जो समता, समानता और न्याय का प्रतिनिधित्व करती है ।

सहकारी संस्था का प्रबंधन अर्थात् प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण, उसके कार्यक्षेत्र की व्याख्या तथा अधिकार, दायित्वों का समन्वय, साधारण सदस्यों के अधिकार तथा सहकारी संगठन विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित सदस्यों की भूमिका आदि घटकों के समुच्चय को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है । इस व्यवस्था का नियमन सहकारी संस्था के पंजीकृत नियमों–उपनियमों के आलोक में होता है जो कि सामान्य रूप से सहकारी संस्था अधिनियम के प्रारूप में वर्णित होते हैं । ये प्रावधान संस्था के अस्तित्व की रक्षा करने में अहम् भूमिका निभाते हैं । सहकारी समिति के सामान्य तथा कार्यकारिणी सदस्यों की वैधानिक समानता ही सहकारी आर्थिक प्रवृत्तियों के कुशल प्रबंधन की बुनियाद होती है ।

सहकारिताओं का मूल उद्देश्य नियोजित रूप से संस्थाकीय गतिविधियों का विधिवत संचालन करना है । कोई भी सहकारी समिति उन्हीं कार्यों को कर सकती है जो उसकी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा ध्वनिमत से मंजूर कर दिए जाते हैं तथा उन्हीं प्रवृत्तियों को सुसंगठित रूप से अमल में ला सकती हैं जिन्हें कार्यकारिणी समिति की सभाओं में तय किया जाता है । इस प्रबंधन का मुख्य ध्येय संस्था के लिए आवश्यक प्रवृत्तियों के अनुरूप संसाधनों की व्यवस्था करना, उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए सहकारी संगठन की वैयक्तिक एवं सकल उत्पादकता में वृद्वि करना है ताकि लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों का यह सहकारी संगठन गुणात्मक एवं मात्रात्मक कार्यकुशलता व कार्यक्षमता वृद्धि की नई इबादत लिख सके । सहकारी शिक्षा इन सदस्यों को सहकारिता के मर्म से शिक्षित व दीक्षित कर उन्हें स्व और संस्था के सर्वागीण विकास के योग्य बनाती है ताकि वे संगठन के हित में समय से विवेकपूर्ण तार्किक एवं विधि–सम्मत निर्णयों को आकार दे सके एवं अनुचित रीति – व्यवहारों पर अंकुश रखकर संपोषित विकास के कीर्तिमान को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित कर सकें ।

सहकारी समितियों का संगठनात्मक ढांचा –

सहकारी संस्थाओं की संरचना दोहरे नियंत्रण में कार्य करती है – सदस्यों द्वारा निर्मित निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था तथा नियुक्त स्टॉफ की संगठनात्मक व्यवस्था । इसके अतिरिक्त सहकारी संगठन के प्रबंधन से जुड़ी एक तीसरी भी कड़ी भी है जिसे नियुक्त प्राप्त कर्मचारियों का संगठन कहा जाता है । यदि इन तीनों कड़ियों में पारस्परिक सामन्जस्य टूटता है या यह कड़ी कहीं से भी कमजोर पड़ती है वहीं पर खतरा खड़ा हो जाता है । साधारण सभा के जागरूक सदस्य व कुशल मार्गदर्शक कार्यकारिणी प्रबन्ध समिति, प्रशिक्षित कार्मिक तंत्र एक ऐसा वातावरण उपस्थित करते हैं जहाँ सहकारी संगठन अपनी ऊँचाइयों को छूता है । समिति

के विकास में जागरूक सदस्य उसकी नींव होते है और वे सक्रिय सकारात्मक एवम् रचनात्मक भागीदारी के जरिए सहकारी समिति को सफलता के भव्य भवन का निर्माण करते हैं । इस समन्वित व्यवस्था को समझने के लिए सर्वप्रथम सदस्यों द्वारा निर्मित तंत्र की संचालन व्यवस्था का संज्ञान आवश्यक है कि सदस्य किस प्रकार इसमें अपना सहयोग सुनिश्चित कर सकते हैं । सहकारी संस्थाओं की प्रबंधन व्यवस्था को इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है –

सहकारी संस्था की प्रबंधन व्यवस्था के आयाम

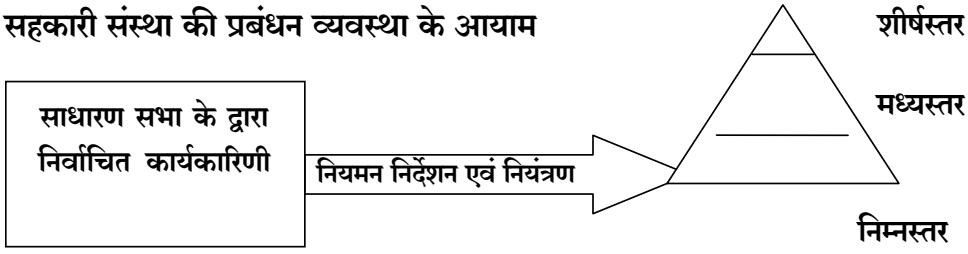

सहकारी समिति में साधारण सभा से सदस्य

नियुक्त कर्मचारियों की त्रि–स्तरीय प्रबंध व्यवस्था

चित्र से स्पष्ट है कि साधारण सभा के सदस्य सहकारी संगठन के मूल में होते हैं जिनके द्वारा निर्वाचित (चयनित) सदस्य मिलकर कार्यकारिणी की रचना करते हैं । इस कार्यकारिणी के दिशा–निर्देश एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण में नियुक्त किए गए कर्मचारियों का तंत्र शीर्ष, मध्य एवं कार्यकारी अमलीकरण स्तर पर संगठनात्मक फलश्रुति को व्यक्त करता है । सहकारी संगठन की प्रबंधन व्यवस्था अर्थात् शीर्ष स्तरीय व्यवस्था (निर्वाचित सदस्य संचालक मंडल) को मार्गदर्शन प्रदान करने में साधारण सभा के सदस्य केन्द्रीय भूमिका अदा करते है । इस प्रक्रिया में सहकारी संस्था के नियम एवं उपनियम के अधीन ही समस्त कार्यों का संचालन किया जाय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्यों का सभा आयोजन की व्यवस्थाएं, सभा में लिए जा सकने वाले निर्णय आदि के वैधानिक प्रावधानों से परिचित होना अनिवार्य है । कंपनी अधिनियम में वर्णित व्यवस्थाओं में इसे सचिवीय पद्धति के रूप में जाना जाता है । सहकारी तंत्र में यह प्रक्रिया संगठन के वैधानिक अस्तित्व का प्रमुख आधार होती है ।

सहकारिता के सदस्यों की सभा में भागीदारी : एक अनिवार्य आवश्यकता

अधिनियम में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार सहकारी समिति का कोई भी सदस्य बिना सक्रिय सहभागिता के सहकारी समिति के प्रबंध एवं निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि

1. कोई भी सदस्य समिति की बैठक में भाग लिए बिना अपना वोट नहीं दे सकता क्योंकि सहकारी समितियों के कानून के अंतर्गत प्रोक्सी वोट का उपयोग निषेध माना गया है ।

2. कोई भी सदस्य समिति के व्यवसाय में योगदान दिये बिना केवल पूँजी के आधारपर एक सीमा से अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता । वह सहकारी समिति द्वारा एक निर्धारित सीमा से बाहर जाकर अधिक अंशपूँजी भी नहीं ला सकता ।

3. हालांकि अधिनियम में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुरूप यदि कोई सदस्य समिति के व्यवसाय में जितना अधिक योगदान करता है तो बोनस के रूप में वह अतिरेक राशि अपने द्वारा किए गए कार्य के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त कर सकता है । समिति द्वारा किए गए व्यवहार पर आधारित बोनस पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है जो सदस्य संस्था के साथ जितना अधिक व्यापार करेगा, परिणाम स्वरूप समिति उससे जितना अधिक लाभ कमायेगी तो उसी अनुपात में उस सदस्य को लौटायेगी ।

4. सहकारी समितियों के संचालन हेतु समस्त प्रबन्धकीय निर्णय, नीतियों–नियमों का निर्धारण, व्यावसायिक लक्ष्य एवं व्यूहरचना संबंधी निर्णय इन सभाओं में ही लेने होते हैं इसमें भागीदारी किए बिना तथा उस पर अपना विधवत पक्ष रखे बिना कोई भी सदस्य न तो अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है और नही कार्यकारिणी की भूमिका पर नियंत्रण रख सकता है ।

सहकारी संगठन में सदस्यों की सभाएं

सहकारी संगठनों के सुचारु व विधिवत संचालन में सदस्यों की सभाओं एव स्थापित नियमन व्यवस्थाओं की महती भूमिका होती है । सदस्यों के हितों की रक्षा तथा संगठन व्यवस्था के नियमबद्ध संचालन हेतु सभाओं की नियमितता व उनकी वैधता संबंधी सुनिश्चितता अनिवार्य है । सामान्य रूप से ये बैठकें विभिन्न प्रकार की होती हैं – वार्षिक साधारण सभा तथा कार्यकारिणी की सभा । आवश्यकता पड़ने पर कई बार असाधारण सामान्य सभा बुलाई जाती है तो कई बार बहुमत वाले सदस्यों की मांग पर अथवा कार्यकारिणी द्वारा अनिवार्य समझे जाने पर भी नियत व्यवस्थाओं की पालना करते हुए सदस्यों की सभा बुला ली जाती है ।

साधारण सभा (General Meeting)

साधारण सभा सहकारी संस्था की सर्वोच्च निर्णायक सभा होती है । सहकारिता का प्रत्येक सदस्य इसका अभिन्न अंग होता है जिस में प्रत्येक सदस्य को मत देने का समान अधिकार होता है । बहुराज्यीय सहकारी समितियों में यदि सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक होती है तो अधिनियम की वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार सहकारी समिति प्रतिनिधियों की साधारण सभा बुलाकर उनकी संख्या को कम कर सकती है इसे आर.जी.बी. कहा जाता है ।

साधारण सभा में समस्त सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए ताकि सहकारी संगठन के संचालन व्यवस्था संबंधी निर्णयों में सभी के मंतव्य प्राप्त हो सके और उनके विचारों से

लाभान्वित होकर संस्था निहित उद्देश्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सके । व्यावहारिक रूप से सभी सदस्य इस सभा में उपस्थित नहीं हो पाते । ऐसे में प्रश्न यह पैदा होता है कम से कम कितने सदस्य इन सभाओं में भागीदारी करें ता कि निर्णयों में सदस्यों का तार्किक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके । इस संख्या को कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है । हरेक सहकारी संस्था के उपनियमों में कोरम की संख्या का उल्लेख रहता है तथापि सामान्यतया कुल सदस्यों की 1/5 संख्या को कोरम माना जाता है । इसके अभाव में सभा आयोजित नहीं की जा सकती । इसके विरुद्ध जाकर यदि सभा आयोजित कर ली जाती है तो इस सभा में लिए गए निर्णय वैधानिक रूप से मान्य नहीं हो सकते । इनको किसी भी सदस्य द्वारा चुनौती दी जा सकती है । साधारण सभा दो प्रकार की होती है – 1. वार्षिक साधारण सभा 2. असाधारण अथवा विशेष साधारण सभा

वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meeting)

वार्षिक साधारण सभा हरेक सहकारी संस्था द्वारा वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से बुलाई जाती है । जिसमें सहकारी संस्था का हरेक सदस्य उपस्थित रहता है तथा हरेक सदस्य को समान रूप से एक मत देने का अधिकार होता है । साधारण सभा के द्वारा लिये गये निर्णय सर्वमान्य होते है और इन निर्णयों के मार्गदर्शन में सदस्यों द्वारा निर्वाचित संचालक मंडल अथवा कार्यकारिणी समिति अपना वार्षिक कार्यों का आयोजन करती है एवं अमलीकरण व्यवस्था का बल्युप्रिंट तैयार कर तथा नियुक्त कर्मचारियों के संगठन द्वारा कार्य निष्पादन कराती है । साधारण सभा में बिना किसी भेदभाव के हरेक सदस्य को अपने विचारों को प्रकट करने और किसी भी प्रस्ताव के प्रति स्वतंत्र रूप से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने का अधिकार होता है । इस अधिनियम की परिसीमाओं में कोई भी निर्णय ले सकते हैं । किसी भी मुद्दे पर पक्ष–विपक्ष में समान मत प्राप्त होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक रहता है ।

असाधारण अथवा विशेष साधारण सभा

सामान्य रूप से असाधारण और विशेष साधारण सभा दो वार्षिक साधारण सभाओं के बीच आयोजित की जाने वाली सदस्यों की सभा है । इसका आयोजन उस समय किया जाता है जब संस्था के हित में आगामी वार्षिक साधारण सभा का इंतजार न किया जा सकता हो तथा जिन नीतिगत मुद्दों अथवा निर्णयों में भी साधारण सदस्यों की सहमति अनिवार्य हो । सहकारी संस्था अधिनियम में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुरूप विशेष साधारण सभा निम्न परिस्थितियों में बुलाई जा सकती हैः

1. **कार्यकारिणी के स्वयं के निर्णय से आयोजित सदस्यों की साधारण सभा –** यदि कार्यकारिणी आवश्यक समझती है तो वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त भी सदस्यों की साधारण सभा आयोजित कर सकती है ।

2. **रजिस्ट्रार के आदेश पर आयोजित सदस्यों की साधारण सभा –** विविध वैधानिक दशाओं – यथा समापन, गैर रीति आदि में सहकारी रजिस्ट्रार समिति के सदस्यों की साधारण सभा बुलाने का आदेश दे सकता है । यदि रजिस्ट्रार के आदेश पर अथवा सदस्यों के अनुरोध पर विशेष बैठक एक माह के अंदर नहीं बुलाई जाती तो रजिस्ट्रार ऐसी बैठक स्वयं बुला सकता है एवं उसका खर्चा संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । इस खर्च की क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति से भी करवायी जा सकती है जो बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार था और जिसने इस दायित्व का निर्वाहन नहीं किया । इस सभा में विचार विमर्श उन्हीं विषयों पर केन्द्रित होगा जिन कारणों से सभा बुलाई गई है । इस सभा में यदि गणपूर्ति नहीं होती तो यह सभा निरस्त कर दी जाती है । सदस्यों की विशेष आम सभा सदस्यों को 7 दिन के सूचना पर बुलाई जा सकती है ।

3. **कम से कम 1/5 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर आयोजित सदस्यों की साधारण सभा –** यदि समिति के कम से कम 20 प्रतिशत सदस्य सभा बुलाने का आवेदन करते हैं तो आगामी वार्षिक साधारण सभा का इंतजार किए बिना सदस्यों की साधारण सभा बुलाई जा सकती है ।

साधारण सभा संबंधी प्रमुख वैधानिक प्रावधान

1. साधारण सभा की बैठक संचालक मंडल द्वारा आवश्यकतानुसार वर्ष में एक से अधिक बार बुलायी जा सकती है । किंतु प्रति वर्ष एक साधारण सभा नियत समय पर बुलाना अनिवार्य होता है जिसे वार्षिक साधारण सभा कहा जाता है । साधारण सभा की सूचना सभी सदस्यों को कम से कम 14 दिन पहले भेजनी अनिवार्य है । इस जानकारी सूचना के नोटिस के साथ बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों, प्रस्तावों की विगत भी एजेण्डा के रूप में भेजना आवश्यक होता है । चूंकि इस महत्वपूर्ण बैठक में समिति के कार्य की वार्षिक रिर्पोट, हिसाब किताब की ऑडिट रिर्पोट को ध्वनि मत से पारित करना होता है इसलिए इन्हें भी एजेन्डा के साथ भेजा जाता है । इसके साथ साथ आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों, प्रस्तावों को भी पारित कराने के लिए उन्हें एजेन्डा में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाता है ताकि उनपर पूर्व में विचार करके विमर्श किया जा सके ।

2. साधारण सभा की बैठक की गणपूर्ति (कोरम) सदस्यों (साधारण) की संख्या के 1/5 सदस्यों की उपस्थिति या समिति के उपनियमों में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार होती है । गणपूर्ति के अभाव में सभा का आयोजन नही किया जा सकता । यदि नियत समय पर गणपूर्ति नहीं हो पाती तो 30 मिनट के लिए सभा स्थगित की जाती है । पुनः कोरम पूरा न होने पर भी उपस्थित संख्या को ही कोरम मानकर उसी स्थान पर सभा आयोजित की जा सकती है तथा नियत एजेण्डा के मुताबिक वैधानिक निर्णय लिए जा सकते हैं ।

3. कुछ उपयुक्त विषय जो एजेण्डे में नहीं हैं, फिर भी आवश्यक समझे जाने पर अध्यक्ष की ओर से अथवा उनकी स्वीकृति से मीटिंग में रखे जा सकते हैं तथा उन पर निर्णय लिया जा सकता है ।
4. यदि बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार प्रबन्ध समिति / अधिकारी, साधारण सभा को समय पर आयोजित नहीं करते, तो वे उस पद हेतु अयोग्य घोषित किये जा सकते हैं । यदि ऐसा व्यक्ति संस्था का कर्मचारी होतो उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है ।
5. जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा साधारण सभा समय पर न बुलाए जाने की स्थिति में तथा बहुमत सदस्यों द्वारा मांग करने की स्थिति में सहकारी रजिस्ट्रार स्वयं साधारण सभा बुला सकता है जिसमें लिए गए निर्णय पूर्ण रूप से वैद्य माने जाते हैं ।

साधारण सभा की प्रमुख शक्तियां एवं कार्य

1. विगत वर्ष में किए गए कार्यो की समीक्षा करना तथा उन्हें सर्वानुमति से पारित करवाना ।
2. आगामी वर्ष के लिए संचालक मंडल द्वारा तैयार किये गए प्रस्तावों, कार्यकलापों व कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करना एवं योग्य निर्णय लेना ।
3. उपनियम की वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन करना तथा संचालक मंडल का निर्माण करना एवं कार्यकारिणी का गठन करना ।
4. गैर-रीति पाए जाने की स्थिति में संचालन मंडल के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को हटाना ।
5. सदस्यों की मृत्यु या निवृत्ति होने की स्थिति में नए पदाधिकारियों का निर्वाचन करना ।
6. संस्था के आय तथा व्यय पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकृत करना ।
7. संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना एवं उसे पारित करना ।
8. आवश्यक होने पर संस्था के नियमो-उप नियमों में संशोधन पर विचार करना एवं सर्वानुमति से निर्णय लेना ।
9. सहकारी समिति में विभिन्न कोषों - जैसे समुदाय विकास कोष, कर्मचारी कल्याण कोष आदि की स्थापना करना ।
10. सहकारी प्रवृत्ति के शुद्ध लाभों के वितरण का प्रमाण तथा बोनस आदि तय करना ।
11. अध्यक्ष के स्थान से प्रेषित अथवा उनकी स्वीकृति से रखे गए एजेन्डा से बाहर के प्रस्तावों पर विमर्श एवं निर्णय लेना ।

संचालक मंडल अथवा कार्यकारिणी के कार्य एवं शक्तियां

सहकारी संगठन में यद्यपि सभी सदस्यों को संस्था की आर्थिक गतिविधियों के संचालन का अधिकार होता है तथापि सभी सदस्यों की इन व्यावसायिक एवं आर्थिक गतिविधियों के संचालन में प्रत्यक्ष भागीदारी संभव नहीं हो पाती इसलिए समस्त सदस्यों की

ओर से उनके द्वारा निर्वाचित संचालक मंडल समिति के कार्यो का सम्पादन करता है । इनके सदस्यों की संख्या संस्था के संविधान अथवा अर्थात् उपनियम में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुरूप तय की जाती है किन्तु मल्टी स्टेट सहकारी समितियों में इनकी संख्या अधिकतम 21 होती है ।

यह मंडल साधारण सभा की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार समिति के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन एवं संपादन करता है । संचालक मंडल साधारण सभा के सदस्यों के लिए जवाबदेह होता है । संचालक मंडल सहकारी समिति की शीर्षस्तरीय प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करता है । इस क्रम में साधारण सभा अपनी कुछ शक्तियां संचालक मंडल अथवा कार्यकारिणी समिति को हस्तानांन्तरित करती है । सामान्य रूप से संचालक मंडल संस्था के हित में निम्नलिखित कार्यों को करता है ।

1. संस्थाके उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु व्यूहात्मक आयोजन करना तथा विकासलक्षी कार्य योजनाऐं तैयार करना एवं उन्हें क्रिर्यान्वित कराना ।
2. संस्था के बेहतर सुव्यवस्थित प्रबंधन हेतु कार्यकारिणी के सदस्यों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्मित तंत्र को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करना, उनके कार्यों का विधिवत नियमन करने हेतु नीति-नियमों का निर्धारण करना तथा उनके कार्यों के मूल्यांकन की व्यवस्थाएं स्थापित कर अभिप्रेरक कार्य-वातावरण तैयार करना ।
3. संस्था लक्ष्य सिद्धि की दिशा में कार्यों के निष्पादन आवश्न संचालन हेतु आवश्यक पूंजी, साधन-संसाधन जुटाना, उनका विवेक पूर्ण आबंटन व उपयोग सुनिश्चित करना ।
4. सहकारी साख संस्थाओं की दशाओं में सदस्यों को अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणापूर्ति हेतु रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा निर्धारित मर्यादित सीमा के अन्तर्गत साख की व्यवस्थाएं करना तथा उनकी समय पर वसूली हेतु तंत्र एवं नियमों की स्थापना करना ।
5. संस्था के स्थापित कोष से विनियोजन के लिए स्वीकृति प्रदान करना ।
6. सदस्यों के अंशपूंजी संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर विविधलक्षी निर्णयों को आकार देना ।
7. संस्था की गतिविधियों के संचालन के लिए भूमि-भवन, गोदाम आदि को किराए पर लेने का निर्णय करना तथा इनपुट व्यवस्था हेतु विभिन्न प्रकार की खरीददारी के निर्णय करना तथा विविधलक्षी खर्च हे तुस्वीकृति प्रदान करना ।
8. संस्था के उत्पाद की विक्रय व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए आवश्यक निर्णय लेना ।
9. संस्था के हिसाब-किताब पर देखरेख रखना तथा खातों का अंकेक्षण कराकर वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु रिपोर्ट आदि तैयार करना ।
10. कर्मचारियों की क्षमताओं का उपयोग एवं विकास हेतु विविध अभिप्रेरक एवं कल्याणकारी योजनाएं बनाना एवं उन्हें अमली बनाना ।

11. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करवाना तकि समय पर स्वीकृति हेतु उसे साधारण सभा में प्रस्तुत किया जा सके ।
12. संस्था के बकाया के मामलों की जांच करना एवं रकम की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाना।
13. संस्था में साधन–संसाधन तथा नकद राशि के प्रत्यक्ष व परोक्ष दुरुपयोग को रोकना ।
14. संस्था के कार्य संचालन में आनेवाले अवरोधों को समय पर दूर कर संस्था को प्रगति के पथ पर ले जाना ।
15. संस्था के उपनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अन्य सहकारी संस्थाओं के साथ करार करना तथा अन्य आवश्यक कदम उठाना ।
15. संस्था को एक आदर्श सहकारी संस्था बनाने हेतु सदस्यों की सहकारी शिक्षा, उनकी आर्थिक उन्नति हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम तथा सामाजिक उत्थान हेतु विविध समाजोपयोगी प्रवृत्तियों को संचालित करना।
16. नवीन सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्रों पर विचार करना तथा सदस्यता प्रदान करने हेतु उचित कार्यवाही करना ।
17. समिति के वेतन भोगी कर्मचारियों की जरुरतों वेतन, बोनस, भत्ते आदि के संदर्भ में निर्णय लेना । कर्मचारियों की नियुक्ति करने, प्रमोशन देने, स्थानान्तरण करने व सस्पेंड आदि संबंधी निर्णय करना ।
19. संस्था की प्रगति के लिए आवश्यक तथा वार्षिक साधारण सभा में निर्देशित कार्यों को पूर्ण करना ।

सहकारी संस्था के अध्यक्ष के कार्य एवं भूमिका

संचालक मंडल हेतु साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने सदस्यों में से अपने मुखिया का चुनाव किया जाता है जिसे समिति के अध्यक्ष रूप में जाना जाता है । यह अध्यक्ष निम्नलिखित कार्यों को करते हुए अपनी वैधानिक भूमिका अदा करता है।

1. साधारण सभा तथा संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना । उपनियम के अनुसार आवश्यक होने पर, सदस्यों अथवा रजिस्ट्रार की मांग पर नियमानुसार बैठकें आयोजित कराना, सभा के सूक्ष्म (सभा की कार्यवाही का विवरण) तैयार करा कर प्रमाणित करना एवं प्रतिपुष्टि हेतु सदस्यों को भेजना।
2. संस्था की ओर से तैयार विविध दस्तावेजों पर संस्था की मुहर के साथ अपने हस्ताक्षर करना ।
3. यह सुनिश्चित करना कि संस्था की नीतिगत व्यवस्थाओं व कार्यों का संचालन नियमानुसार हो रहा है या नहीं ।
4. सदस्यों व संस्था के हित में विविध कार्यों में अपना (सहयोग) सुनिश्चित करना ।

5. संचालक मंडल द्वारा हस्तांतरित अथवा प्रदत्त शक्तियोंके अनुसार संस्थागत निर्णय लेना, स्वीकृति देना ।

प्रबन्धक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) के कर्तव्य

1. मुख्य कार्यकारी संचालन मंडल के नियंत्रण एवं देख-रेख में नियत कार्यों को करेगा तथा इन के प्रति उत्तरदायी भी होगा ।
2. वह संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु ऐसे विविध कार्यों को भी करेगा जिससे सदस्यों की आस्था, संस्था के गौरव व कार्यक्षेत्र आदि में दीर्घकालिक अभिवृद्धि होती हो । वह संस्था की दैनिक प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए भी उत्तरदायी रहेगा ।
3. वह संस्था के जरूरी रिकॉर्ड समुचित रूप से समय पर तैयार कराने व उन्हें सुरक्षित रखने हेतु समस्त आवश्यक कार्य करेगा । वह संस्था की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक कार्य करायेगा तथा कर्मचारियों को जरूरी मार्गदर्शन प्रदान करेगा ।
4. वह सुनिश्चित करेगा कि संस्था के समस्त क्रियात्मक कार्य नियमबद्ध रूप से संचालित किए जा रहे हैं । वह परिसम्पत्तियों की भौतिक सत्यापन भी करेगा । वह हर उस कार्य को करवायेगा जिससे संस्था की जोखिम व जवाबदेयता में कमी आती हो ।
5. वह संस्था की कामगिरी के संचालन हेतु जरूरी आदानों की खरीद, संग्रहण, रखरखाव व वितरण आदि की व्यवस्था करायेगा तथा भौतिक सत्यापन के साथ संबधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगा ।
6. वह समिति के कार्यों के संचालन हेतु जरूरी रजिस्टर सदस्यों की पासबुक आदि तैयार करायेगा ।
7. वह समिति के हित में आवश्यक बैंक तथा अन्य बाहरी संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करेगा एवं आवश्यक करार भी करेगा । वह संस्था की ओर से समस्त जरूरी पत्र व्यवहार भी करेगा ।
8. वह वैधानिक संस्थाओं को समिति की ओर जरूरी दस्तावेज रिपोर्ट आदि उपलब्ध करायेगा ।
9. वह संचालक मंडल के निर्देश पर समितकी विभिन्न बैठकों को आयोजित करायेगा, उनमें उपस्थित रहेगा, उनकी कार्यवाही को नोट कर संक्षिप्त नोट सूक्ष्म तैयार करेगा तथा प्रमाणीकरण हेतु अध्यक्ष को भेजेगा । अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित संक्षिप्त नोट की प्रति को प्रति पुष्टि हेतु सदस्यों को प्रेषित करेगा तथा कार्यकारिणी के निर्देशानुसार नए सदस्यों को बनाने की कार्यवाही को पूरी करने की दिशा में कार्य करेगा ।
9. वह संस्था की ओर से दावे प्रस्तुत कर सकता है, पैरवी कर सकता है, समझौता कर सकता है तथा दावे वापस ले सकता है ।
10. वह संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत संबधित मदों व परियोजनाओं में व्यय करता है तथा आय-व्यय के समस्त विवरण तैयार कर संचालक मंडल के समक्ष

प्रस्तुत करता है तथा वर्ष के अन्त में उन्हें वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करता है । वह अध्यक्ष अथवा संचालक मंडल के किसी सदस्य द्वारा चाहे जाने पर संस्था के रिकॉर्ड का निरीक्षण करा सकता है।

11. वह संचालक मंडल द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत संस्था के कर्मचारियों का प्रबंधन अर्थात् भर्ती, चयन, प्रमोशन, वेतन व्यवस्था, हस्तान्तरण तथा दण्ड आदि की कार्यवाही को पूर्ण करता है । समिति के अन्य सदस्यों व कर्मचारियों को अपने दिशानिर्देशन में कार्य कराता है । संचालक मंडल इनके जरिए कर्मचारियों की क्षमताओं का उपयोग व उनके गुणात्मक–मात्रात्मक विकास सुनिश्चित करता है।

सहकारी समिति के साधारण सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य तथा भूमिका

सहकारी समिति में साधारण सभा के सदस्य इस लोकतांत्रिक विकेन्द्रित व्यवस्था के आधार स्तम्भ है । सहकारी समिति के संचालन में इनकी सीधी सहभागिता नहीं होती तथापि उसके संचालन की रूपरेखा एवं व्यूहरचना तय करने में उनकी परोक्ष किन्तु केन्द्रीय भूमिका होती है क्योंकि उनकी सहमति के बिना कार्यकारिणी कुछ भी नहीं कर सकती है । इसलिए आवश्यक यह होता है कि उनकी सक्रिय व रचनात्मक भागीदारी हो ताकि वे निर्णयों को प्रभावित कर सके और अपनी सहकारी संस्था को सही दिशा में ले जाने हेतु अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें । इस पर समिति का लाभ–हानि भी एक हद तक निर्भर करता है। सहकारी संस्था के प्रत्येक साधारण सदस्य को निम्नलिखित अधिकार होते हैं ।

1. वह संस्था की कार्यकारिणी का सदस्य व पदाधिकारी बन सकता है।
2. वह संस्था का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक जागरूक सदस्य की भांति संस्था के अभिलेखों का अवलोकन व उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार रखता है ।
3. वह साधारण सभा के एजेन्डे के विषयों पर अपने मुक्त विचार व्यक्त कर सकता है।
4. वह अपना स्वतंत्र मत प्रदान कर सकता है।
5. वह संस्था द्वारा सदस्यों के लिए प्रदान की जा रही सेवाओं का उपयोग कर सकता है ।
6. वह अंशपूंजी के अनुपात में लाभ में हिस्सा प्राप्त कर सकता है, अपनी इच्छा से अंशपूँजी को वापस लेने तथा उस हिस्से को किसी को भी हस्तान्तरित करने का अधिकार रखता है । लेकिन संस्था में किसी भी नये व्यक्ति को सदस्य तभी बना सकते है जब वे संस्था के उपनियम में वर्णित अर्हताओं को पूरा करते हो ।
7. वह साधारण सभा में संचालक मंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे भंग करने की मांग कर सकता है । साधारण सदस्य सहकारी समिति रूपी भव्य महल के नींव के पत्थर होते हैं । हरेक सदस्य इस महल की वह ईंट है जिससे यह भव्य संरचना निर्मित हो रही है । उनके महत्व को कार्यकारिणी से कम नहीं आंकाजा सकता । उनकी भूमिका इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कही जा सकती है कि उनकी

सक्रिय सहभागिता पर ही कार्यकारिणी तथा कर्मचारी निर्मित व्यवस्थातंत्र की गुणात्मक एवं मात्रात्मक असरकारकता निर्भर होती है इसलिए इन साधारण सदस्यों को हमेशा सजग रहना होगा, समिति की संचालन व्यवस्था में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा, समिति के विकास हेतु सदैव सहयोग के लिए तैयार रहना होगा तथा संचालकीय भूमिका अथवा नेतृत्व को स्वीकारने हेतु भी आगे आना होगा तथा एक अभिप्रेरक पहलवृत्ति का आदर्श स्थापित करना होगा । सदस्यों का यह पीढ़ दायित्व है वे कार्यकारिणी को दोष न देते हुए स्वयं सक्रिय बने । जब साधारण सदस्य सहकार की भावना के साथ सक्रिय हो जाते हैं तब उस संस्था की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता । उन्हें हर हाल में सदैव नींव का पत्थर बनकर रहना होगा ताकि उस इमारत को कोई हिला नहीं सके । इस दिशा में साधारण सभा के सदस्यों के कर्तव्यों को निम्नलिखित रूप से रेखांकित किया जा सकता है ।

1. संस्था के प्रबंध हेतु आवश्यक है कि सदस्य आन्तरिक व बाह्य छद्म प्रलोभनों से बचते हुए साथी सदस्यों के शोषण का कारण न बने, जाने-अनजाने में अनीति व शोषण करनेवाले तथा संस्था को हानि पहुँचाने वाले, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले स्वार्थी तत्त्वों के हाथ की कठपुतली बनकर अनैतिक कार्य का हिस्सा बनने से बचें ।
2. वे संस्था के विकास हेतु योजना निर्माण व उस पर होनेवाले विमर्श का सक्रिय हिस्सा बने तथा निर्भीक रूप से अपने मंतव्य और सुझावों को रखें, संस्था के हित में आये हुए दूसरों के बहुमूल्य सुझावों का सम्मान करें अहम् तुष्टि अथवा अन्याय कारणों से विरोध न करें तथा विवाद और संघर्ष की स्थिति खड़ी करने से बचें ।
3. वे संस्था के वित्तीय व अन्य दस्तावेजों की जाँच व उनका गंभीरता से अध्ययन करें तथा संस्था के सुनियोजित विकास की दिशा में संस्था के विभिन्न स्तरोंपर अपना योगदान सुनिश्चित करे ।
4. वे व्यावसायिक प्रबंधकीय व्यवहारों के नियमों का शिक्षण-प्रशिक्षण लेकर स्वयं को सजग करते रहें तथा संस्था की व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े रहकर अपने बहुमूल्य सुझाव संगठन में देते रहें ।
5. वे संस्था के पदाधिकारियों के चुनाव के समय संस्था के हितों के मद्देनजर किसी भी प्रकार के समझौते को स्वीकार न करें, योग्य प्रत्याशी को ही कार्यकारिणी में चुनकर भेजें । उनकी यह एक भूल संस्था को बहुत भारी पड़ सकती है तथा सावधानी विकास के नये क्षेत्र खोल सकती है ।
6. वे संस्था से लिए गए ऋण को समयपर वापस करके संस्था को सुदृढ़ बनाने में अग्रिम भूमिका निभाएं तथा अन्य सदस्यों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहें । ऐसे वातावरण का निर्माण करें ताकि हर सदस्य सच्चे मन से संस्था को अपना मानकर इस ऋणवापसी के चक्र को गतिमान बनाए रखने में केन्द्रीय भूमिका निभाए । इस परिवर्तन की शुरुआत हर व्यक्ति स्वयं से करे ।

7. वे संस्था के साधनों के दुरुपयोग पर बाज नजर रखें तथा उसे रोकने के लिए सामूहिक शक्ति को विकसित कर क्रियान्वित करें । भ्रष्टाचार आदि अनैतिक आचरणों की सफाई तथा राजनीतिक हस्तक्षेप से संस्था को दूर रखने हेतु संगठित प्रयास करें । संस्थागत की संपत्ति के सृजन व संरक्षण हेतु सदैव अग्रणी रहें ।

8. प्रवर्तमान भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर वैधानिक संशोधनो को आकार दें ताकि समयानुसार व्यावसायिक प्रगति अवरुद्धन हो । समय की मांग के अनुरूप संस्था की असरकारक सामाजिक जवाबदारी सुनिश्चित करने की दिशा में संस्था का यथोचित मार्गदर्शन करें ।

9. सहकारी शिक्षण को आत्मसात करते हुए सदस्यों के साथ सहकार से रहें, सहयोग करें, मतभेद होने पर भी मतभेद न रखें, अनावश्यक संघर्ष व तनाव से संगठन के वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं तथा पर्यावरण व समाज के हित में कार्य कराने हेतु कार्यकारिणी को सदैव प्रोत्साहित करते रहें । इसके लिए सदस्यों का सहकारी शिक्षण–प्रशिक्षण अनिवार्य एवं उपयोगी कदम है।

सहकारी संगठन के उत्थान में कर्मचारी द्वारा निर्मित तंत्र की भूमिका –

सहकारी समिति में कार्य करनेवाले कर्मचारी भलेही सहकारिता के सदस्य न हो किन्तु उनमें भी सहकारिता की भावना का होना अनिवार्य है तभी वे सहकारी दृष्टिकोण से संस्था में विविध कार्यों का योग्य निष्पादन कर सकते है । वे अन्य कोर्पोटेरट व्यावसायिक संस्थाओं की संस्कृति से प्रथक हैं । सहकारिता में सदस्यों के लिए मशीनी नहीं अपितु मानवीय व्यवहार को अपनाया जाता हैं । कर्मचारी निर्मित तंत्र संस्था संचालन व्यवस्था का अभिन्न अंग है तथा अमलीकरण व्यवस्था का सर्वाधिक क्रियाशील हिस्सा है । यदि वे संस्था को अपना मानकर ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, लगन और तल्लीनता से काम करते हैं, अन्य संस्थानों की तरह गुटबंदी, हठवादिता कर संस्था की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, आंदोलन आदि की धमकी नहीं देते तथा निरंतर अपनी कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु प्रयत्नशील रहते हैं तो संस्था और कर्मचारियों के सर्वागीण विकास को कोई नहीं रोक सकता । ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं । गुजरात के धोलका विस्तार की माहिती संस्था जहाँ अनपढ़ बहनों ने बाहर की पूँजी लेकर अपनी बैंक बनाई आज वो अपनी मेहनत लगन से इसका संचालन कर बैंक को बाहरी पूँजी के हिस्से से मुक्त कर सदस्यों के हित में बेहतर संचालन कर रही है । खाद निर्माण के क्षेत्र में संलग्न प्रतिष्ठित इकाई इफको की भी यही कहानी है जो हमें इस संयोजन की ओर प्रेरित करती है । सवाल ये उठता है कार्यरत कर्मचारी उस कार्य को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तथा किस भावना के साथ समझते हैं । यदि वे इसे ''एक सबके लिए तथा सब एक के लिए'' की भावना के साथ जोड़कर देख पाते हैं तो आनंद ही अलग होता है, समस्याएं उस वातावरण से पलायन कर जाती है । कर्मचारी निर्मित तंत्र में अधिकारी यदि ''उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यवस्था'' को अपनाते हैं तो संस्था चहुँमुखी विकास करती है । इसमें

ध्येय निर्धारण की विकेन्द्रित व्यवस्था अमली बनती है, लोग अपने ध्येय स्वयं निर्धारित करते हैं, उन्हें संस्था के ध्येयों के साथ जोड़कर रखते हैं और अंततः वे आयोजन व हकीकतलक्षी परिणामों के अंतर को कम करने में सफल हो जाते हैं जिससे अतिरेक प्रयास या व्यर्थ के प्रयत्न आकार नहीं ले पाते, संगठन की लागतें घटती हैं, कार्यक्षमता व कार्यकुशलता बढ़ती है, कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, वे भावी भूमिका के निर्वाह हेतु तैयार होते हैं, नवाचार और नये विचारों की खेती संस्था के हित में करते को उद्यत हो जाते हैं । ऐसे में संस्था की चहुँमुखी प्रगति को कौन रोक सकता है? सहकारी संगठन में कार्य करनेवाले कर्मचारी संगठन के साथ इस तरह घुलमिल जाते हैं कि लगता ही नहीं कि वे सदस्यों से कुछ अलग हैं । प्रवर्तमान समय में सहकारी संस्थाओं को भी कर्मचारी निर्मित तंत्र के प्रति अपने नजरिए में आमूलचूल परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है । कम वेतन में काम लेने की मनोवृत्ति के बजाय उनके शिक्षण-प्रशिक्षण पर के सुनियोजित रुप से विनियोजन कर उनकी क्षमताओं को सुधारा जाय, अभिप्रेरित पारिश्रमिक के जरिए उन्हें अधिकाधिक कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाय, उनके साथ मानवीयवृत्ति को अपनाना जाय अर्थात् उनके साथ भी सहकारी मूल्यों के अनुसार मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया जाय तो निश्चित रुप से सहकारी संगठन एवं उसका हरेक अवयव प्रभावी रुप से अपनी भूमिका को बेहतर भूमिका सुनिश्चित कर सकेगा तथा संस्था के जतन में अपना अमूल्य योगदान दे सकेगा जो सहकारी संस्था को हर संकट में टिके रहने के लिए असीम अदृश्य ऊर्जा, ऊष्मा तथा भावनात्मक ताकत प्रदान करेगा ।

राज्यस्तरीय तथा राष्ट्रस्तरीय शीर्षस्थ सहकारी संघो की सहकारिता के विकास में भूमिका

प्रायः हर क्षेत्र में कार्यरत सहकारी संस्थाओं का ग्राम स्तर से लेकर जिला व राज्य की त्रि-स्तरीय संरचना रहती है जो उसके विकास में मददरूप होती है । राष्ट्रीयस्तर पर लगभग हर क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं के शीर्ष निकाय बनाए गए हैं जो सहकारी संस्थाओं के शिक्षण-प्रशिक्षण, उनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक मजबूती, नीतिगत समर्थन आदि की दिशा में सामूहिक प्रयास करते हैं । राष्ट्रीय स्तर के सभी शीर्ष निकायों की प्रतिनिधिपूर्ण सहकारी शीर्षस्थ निकाय के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ गठन किया जाता है जिसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है । यह निकाय अपनी विभिन्न इकाइयों तथा राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र तथा ग्राम विकास प्रोजेक्ट केन्द्र, सहकारी प्रबंधन संस्थान, जूनियर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र आदि के माध्यम से तृणमूल स्तरीय सहकारी संस्थाओं, राज्यस्तरीय निकायों को सुदृढ़ बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील रहकर उनको शिक्षण-प्रशिक्षण व संरक्षण प्रदान करता है, अनुसंधान, सलाह आदि कार्यों के द्वारा अद्यतन विश्लेषित रिपोर्ट तैयार कराता है । समितियों के मध्य विवादों का निपटारा करता है तथा सामान्य हित में अधिनियम निर्माण व उनमें संशोधन के कार्यो के द्वारा सहकारी संस्थाओं के समसामयिक

संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । यह शीर्षस्थ निकाय सहकारिताओं की व्यवस्था के नियमन हेतु आदर्श आचारसंहिता का निर्माण कर सहकारी संस्थाओं की असरकारकता में वृद्धि करता है ।

अंत में.....

सहकारिता के समुचित विकास हेतु आवश्यक है कि सहकारिता के आन्तरिक अवयव सुदृढ़ हो, सक्रिय हों तथा सुचारु संचालन में सहकारी उन संकल्पों के साथ आगे बढ़े जिनकी व्यवस्था सहकारिता के सार्वभौमिक सिद्धांत व सहकारी मूल्यों में की गई है । सहकारी सदस्यो के ढांचे से लेकर कार्यकारिणी तथा कर्मचारी निर्मित तंत्र की भूमिका एक ही ताने बाने में लयबद्ध होकर आगे बढ़े तो सफलता के कीर्तिमान निश्चित तौर पर स्थापित किए जा सकते हैं । सहकारिताओं के अस्तित्व एवं विकास में शीर्ष एवं शीर्षस्थ निकाय की संरक्षणात्मक एवं संवर्धनात्मक कवच की प्रोत्साहक भूमिका को नहीं नकारा जा सकता जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सदस्य, कार्यकारिणी व कर्मचारी निर्मित तंत्र की भूमिका को धारदार बनाने हेतु विविध कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं । किन्तु इन समस्त कार्यक्रमों व प्रयासों की सफलता का दारोमदार सदस्यों की अपनी भूमिका के प्रति जागृति व वैधानिक जानकारी तथा रचनात्मक सहभागिता पर निर्भर करती है । सहकारी तंत्र के विविध अवयवों है जिसे गांधीजी के मानव केन्द्रित अर्थशास्त्र के पथ पर चलकर पाया जा सकता है । सहकारिता के जरिए समतामूलक समाज, आत्मनिर्भर समाज व सर्वोदयी समृद्ध सभ्य समाज की परिकल्पना को आकार देना संभव है जिससे राष्ट्र को सफलता की बुलंदियों पर पहुँचाया जा सकता है । यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यदि सहकारी प्रबंन्धन में सदस्य अभिमुखी आवश्यकतालक्षी दूरगामी प्रयास किए जाते हैं तो नि:संकोच बेहतर परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है ।

संदर्भ :

- गांधी मोहनदास करमचंद ''ग्राम स्वराज'' सहकारिता पर गांधी प्रकरण, नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद.
- पी.सी.ढाल (1989) ''ए टेक्सट बुक ऑफ को-ऑपरेटिव्ह मेनेजमेन्ट'' स्टोशिस एडवेन्ट बुक्स डिवीजन
- एस निक्करन (2006) को-ऑपरेटिव्ह मेनेजमेन्ट : प्रिन्सिपल्स एण्ड टेक्निक्स'' दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
- गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अधिनियम
- पाठ्य सामग्री को-ऑपरेटिव्ह मेनेजमेन्ट, राष्ट्रीय सहकारी शिक्षण केन्द्र, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली.

❐❐❐❐